न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 27 / 2023 ई.रे. दिनांक 23.12.2025

1— गणेश पिता बाबरू सुथार निवासी सुथारिया खेड़ा तहसील बड़ीसादड़ी

— प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पिता हरिराम सुथार निवासी सुथारिया खेड़ा, तहसील बड़ीसादड़ी
2. प्रवीण कुमार पिता भंवरलाल सुथार निवासी सुथारिया खेड़ा तहसील बडीसादड़ी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री आर.एस. झाला वकील प्रार्थी

—:: आदेश::—

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि —

1. प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय आप में पेश किया है किन्तु उसके अन्तिम निस्तारण मे समय लगने की पुर्णसंभावना है जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर पेश है।
2. यह कि 140 की आराजी नं. 77 रकबा 1.2600 हैक्टेयर आराजी नं. 83 रकबा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं. 84 रकबा 0.0100 हैक्टेयर आराजी नं. 85 रकबा 1.2600 हैक्टेयर कुल किता 4 रकबा 2.5400 हैक्ट. ग्राम सुथारिया खेड़ा प.ह. बोहेड़ा बी तह. बड़ीसादड़ी व खाता सं. 120 की आराजी नं. 71 रकबा 0. 4600 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.4600 है. ग्राम सुथारिया खेड़ा प.ह. बोहेड़ा बी तह. बड़ीसादड़ी व खाता सं. 116 की आराजी नं. 70 रकबा 0.4500 हैक्टेयर कुल किता 1 रकबा 0.4500 है. ग्राम सुथारिया खेड़ा प.ह. बोहेड़ा बी तह. बड़ीसादड़ी स्थित है। उक्त आराजीयात को प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।
3. उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी व उसके भाई देवीलाल व प्रभुलाल तथा अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी व उसके भाईयों अप्रार्थीगण के बीच हक हिस्से अनुसार वर्षो पुर्व विधिवतरूप से बंटवाड़ा कर दिया गया था और उसी अनुसार प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से की आराजीयात पर मौके पर काबिज होकर शांतीपुर्णरूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।
4. अप्रार्थीगण दोनों पिता पुत्र है और दोनों मिलकर प्रार्थी के हक हिस्से आराजीयात में जबरदस्ती रास्ता कायम करने पर आमदा है जबकि प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आने जाने का अन्य रास्ता मौके पर कायम है। उसके बाद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी ही आराजीयात में जबरदस्ती रास्ता कायम करना चाह रहे है। जिस कारण अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के साथ लड़ाई—झगड़ा करते है तथा मारपीट करने की धमकिया देते है।
5. अप्रार्थीगण प्रार्थी से रंजिश रखते है और लठ के बल पर प्रार्थी के स्वामित्व एवं हक हिस्से की आराजीयात में जबरदस्ती रास्ता कायम करना चाह [illegible] जबकि प्रार्थी ने अपनी सम्पुर्ण आराजीयात को ट्रैक्टर से हांक रखा है और प्रार्थी की सम्पुर्ण [illegible] की आराजीयात पर अकेले प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी के स्वामित्व एवं हक [illegible] की आराजीयात में अप्रार्थीगण कोई सम्बन्ध सरोकार नही है उसके बाद भी अप्रार्थीगण जब [illegible] प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी के हक हिस्से की आराजीयात में अवैधरूप से रास्ता कायम करना चाह रहे है जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नही है जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

पाबंद किया आवश्यक है कि वह प्रार्थी के स्वामित्य हक हिस्से एवं कब्जेशुदा आराजीयात में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अवैधरूप से कोई रास्ता कायम न करे न करावे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

6. अप्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया केस प्रमाणित है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को ऐसी अपुर्णनीय क्षति कारीत होगी जिसकी पुर्ति अन्य रूप से संभव नही है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के स्वामित्व हक हिस्से एवं कब्जेशुदा आराजीयात में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अवैध रूप से कोई रास्ता कायम न करे न करावे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

वकील प्रार्थी की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला

2– सुविधा का संतुलन

3– अपूरणीय क्षति

1– **प्रथम दृष्टया मामला**

1. पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी व उसके भाई देवीलाल व प्रभुलाल तथा अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात है। अप्रार्थीगण दोनों पिता पुत्र है और दोनों मिलकर प्रार्थी के हक हिस्से आराजीयात में जबरदस्ती रास्ता कायम करने पर आमदा है जबकि प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आने जाने का अन्य रास्ता मौके पर कायम है। उसके बाद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी ही आराजीयात में जबरदस्ती रास्ता कायम करना चाह रहे है। विपक्षी प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर आमादा है । इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

चूंकि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी व उसके भाई देवीलाल व प्रभुलाल तथा अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात है। अप्रार्थीगण दोनों पिता पुत्र है और दोनों मिलकर प्रार्थी के हक हिस्से आराजीयात में जबरदस्ती रास्ता कायम करने पर आमदा है जबकि प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आने जाने का अन्य रास्ता मौके पर कायम है। जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टिया केश प्रमाणित है । तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरीत करने में सफल हो जावेगें जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहे है।

–:निर्णय:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 (प्र.सं 27/2023) आर.टी.एक्ट. को स्वीकार किया जाता है। पत्रावली की आदेशिका दिनांक 06.07.2023 के अनुसार विपक्षीगण मौजा सुथारिया खेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा बी की आराजी नं. 70 रकबा 0.4500, 71 रकबा 0.4600 हैक्ट. भूमि पर किसी भी प्रकार से अवैध रूप से कोई रास्ता कायम न करे न करावे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। । इस हेतु विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली को मूल वाद के निस्तारण तक [illegible] किया जाता है ।

यह आदेश आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिख[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:36 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी